2017/00120

(25)

निर्णय न्यायालय श्री मुकेश कुमार कायथवाल, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
36/2017	20.9.2017	29.1.18

रामजीलाल पुत्र भोरया, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर——वादी

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र पन्नालाल, मीना निवासी बडागांव कहार तहसील मलारनाडूंगर
2. रमेश पुत्र चतुर्भुज, मीना निवासी बडागांव कहार तहसील मलारनाडूंगर
3. सुरेन्द्र पुत्र चतुर्भुज, मीना निवासी बडागांव कहार तहसील मलारनाडूंगर
4. नरेन्द्र पुत्र चतुर्भुज, मीना निवासी बडागांव कहार तहसील मलारनाडूंगर
5. विकास पुत्र चतुर्भुज, मीना निवासी बडागांव कहार तहसील मलारनाडूंगर
6. तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर ——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री रवि प्रकाश अग्रवाल, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ग्राम भडकोली में स्थित है। इसमें ख0नं0 445, 446, 463, 464, 797, 798 में वादी का सम्पूर्ण हिस्सा है। ख0नं0 174, 175, 176, 181, 182, 247, 248, 257, 267, 316, 323, 397, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 412, 413, 415, 424, 475, 476, 638, 639, 645, 646, 699, 769, 806, 820, 824, 961, 963 में वादी का 1/2 हिस्सा है। ख0नं0 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1790, 1794, 1795, 1826, 1828, 1926, 1927, 1962, 1963, 1986, 1987, 1988, 1992, 2934, 3026, 4821 में वादी का 1/4 हिस्सा है। इस भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण यह मंशा रखते हैं कि येन—केन प्रकारेण वादी के कब्जे काश्त की आराजियात पर कब्जा कर लिया जावे। दिनांक 18.9.2017 को प्रतिवादीगण मौके पर आए और कहा तेरी सभी जमीनों पर हम कब्जा करेंगे, या तो राजी से कब्जा छोड दे नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। तेरी सब जमीनों के हमने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। वादी को ये पूर्ण अन्देशा है कि प्रतिवादीगण फर्जी दस्तावेजात बनाने में व लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करने में माहिर है और किसी भी फर्जी दस्तावेज को आधार बनाकर जबरन वादी की भूमि पर कब्जा कर सकते हैं। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजियात वाके ग्राम भडकोली के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावें ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे कि वादी के विधिक अधिकार आहत हों। दौराने दावा अगर प्रतिवादीगण दावे के मद नं0 1 में उल्लेखित आराजियात

29.1.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

से वादी को बेदखल करने में कामयाब हो जावें तो पुनः कब्जा वादी का कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया कि वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी में ख0नं0 463 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 464 रकबा 0.79 है0 ग्राम भडकोली का बेचान वादी द्वारा दिनांक 5.7.2015 को रू0 730000/– में प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपत्नि प्रेमदेवी पत्नि चतुर्भुज मीना को कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा 100/–रू0 के स्टाम्प पर बेचाननामा वादी द्वारा तहरीर कर प्रतिवादी संख्या 1 की धर्मपत्नि प्रेमदेवी को सुपुर्द कर दिया था तभी से प्रेमदेवी का उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर कब्जा चला आ रहा है। इस आधार पर वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नियमानुसार मौके पर जिसका कब्जा होता है उसी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होती है। मौके पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि प्रेमदेवी का कब्जा काश्त है जिसे वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस आधार पर वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है। ख0नं0 797 रकबा 0.36 है0 प्रतिवादी सं0 2 रमेश पुत्र चतुर्भुज को दिनांक 24.6.13 को रू0 200000/– में वादी द्वारा रहन रखा गया है । इस भूमि पर प्रतिवादी सं0 2 का 24.6.13 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी के पुत्र हनुमान व रामोतार मीना को रूपयों की आवश्यकता होने पर रहन रखी गई थी। वादी के उक्त दोनों पुत्र अपने माता पिता से अलग रहते हैं तथा वादी द्वारा अपने नाम की खातेदारी आराजी को मौके पर पुत्रों को हिस्से अनुसार बंटवारा कर सुपुर्द कर रखी है। दि0 24.6.13 से उक्त आराजी पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। इस आधार पर वादी प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ख0नं0 175 रकबा 0.74 है0, ख0नं0 247 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 248 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 316 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 402 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 403 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 408 रकबा 0.07 है0 का बेचान प्रति बीघा 3 लाख रू0 के हिसाब से बेचान तय कर बेचाननामा वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में दिनांक 7.7.16 को तहरीर कर आराजी का कब्जा सुपुर्द कर मूल बेचाननामा प्रतिवादी सं0 1 को सुपुर्द कर दिया तभी से उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी का वर्तमान में इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है एवं वादी का दावा इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा व प्रतिवादी सं0 1 की पत्नि प्रेमदेवी द्वारा वादी को रू0 200000/– दि0 1.8.14 को गाडी किश्त के लिए नकद उधार दिए थे। दि0 1.11.14 को रू0 350000/– गाडी फाइनेंस की अवधि के लिए नकद उधार दिए थे। दिनांक 30.4.15 को वादी की लडकी की शादी में रू0 350000/– का नकद भुगतान वादी को किया

22.1.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

था। दिनांक 1.7.15 को रू0 250000/– पाटी का साई में अदा किए थे तथा इसी प्रकार 1250000/–रू0 धर्मराज, नन्दा पुत्र विजयलाल से जमीन रहनमुक्त कराने हेतु अदा किए थे। दि0 7.7.15 को प्रतिवादी सं0 1 के नाम बेची गई आराजी की रजिस्ट्री करवाने के लिए उक्त आराजी को रहनमुक्त करवाने के लिए रू0 600000/– नकद बेचाननामा तहरीर करने के समय वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से प्राप्त किए थे तथा रू0 200000/–प्रतिवादी सं0 2 को रहन रखी राशि के दिनांक 24.6.13 को अदा किए थे तथा दि. 12.8.15 को रू0 200000/– ट्रेक्टर के लिए वादी को अदा किए थे। इस प्रकार प्रतिवादीगण से कुल 3400000/– तथा अन्य खर्चे वास्ते 58000/– रू0 वादी प्राप्त कर चुका है। उक्त राशि के एवज में ही प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र के मद नं0 1, 2, 3 में दर्ज आराजी पर बदस्तूर कब्जा काश्त में चले आ रहे हैं। वादी को उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने का कोई हक नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पर वर्तमान में बाजरे की फसल काश्त की है जिसके बीज का बिल सं0 27 दि0 29.6.17 को अपने साझी भगवानसहाय के नाम कटवा कर राशि रू0 1200/– का भुगतान किया था परन्तु वादी द्वारा उक्त आराजी की बाजरे की फसल को जबर्दस्ती काटने पर प्रतिवादी सं0 1 ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर को दिनांक 25.9.17 को, प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दिनांक 25.9.17 को तथा प्रतिवादी संख्या 1 पत्नि प्रेमदेवी द्वारा 25.9.17 को पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट पेश की थी जिसके आधार पर उक्त आराजी की बाजरे की फसल को वादी द्वारा ले जाने से रोका गया था तथा मौके पर उक्त आराजी में बाजरे की कडबी पडी हुई है। इस आधार पर वादी का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं होने, उक्त आराजी का वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बेचान किए जाने तथा मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने से वादी का दावा इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी की रजिस्ट्री करवाने हेतु कई बार कहा गया परन्तु वादी टालमटोल करता रहा। अधिक समय हो जाने से प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.7.17 व दिनांक 17.7.17 को ग्राम भडकोली के पंच पटेलों को एकत्रित कर वादी को बुलवा कर उक्त आराजी की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा। वादी ने प्रतिवादीगण की उक्त राशि को हडप करने के लिए एवं प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के लिए यह दावा पेश किया है जो इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है। वादी ने जो दस्तावेज फर्जीवाडे में लिखने की बात दर्ज की है वह गलत है। यदि ये दस्तावेज गलत हैं तो अब तक वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। दिनांक 18.9.17 को प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे व उस दिन गांव में मौजूद ही नहीं थे। प्रतिवादीगण का कब्जा सन् 2013, 2015, 2016 से बदस्तूर उक्त विवादित आराजी पर चला आ रहा है।

29.1.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

वादी ने बिना किसी विनाय दावे के यह वादपत्र पेश किया है जो इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन है कि उक्त वादपत्र को इसी स्टेज पर मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में वादी ने अंकित किया है कि दि0 5.7.15 को किसी तरह का कोई इकरारनामा वादी द्वारा प्रेमदेवी पत्नि चतुर्भुज मीना के नाम किसी भी खसरा नम्बर के बेचान बाबत् नहीं किया ना ही कोई कब्जा सुपुर्द किया। प्रेमदेवी के पास ऐसा कोई दस्तावेज है तो वह फर्जी व बनावटी है। वैसे अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जैसाकि रूलिंग 2011 डी0एन0जे0(सुप्रीम कोर्ट) पेज 1058, आर0आर0डी0 2009 पेज 238, आर0आर0डी0 2011 पेज 106, डी0एन0जे0 2011(3) पेज 1066, आर0आर0टी0 2015(3) पेज 1268, आर0 आर0टी0 2011(1) पेज 427 में तय किया गया है। रमेश पुत्र चतुर्भुज को दिनांक 24.6.13 को कोई खसरा नम्बर वादी ने रहन नहीं रखा। अगर ऐसा कोई दस्तावेज है तो वह फर्जी व बनावटी है। वादी के पुत्र हनुमान व रामोतार को पैसों की आवश्यकता भी गलत बताई है। मेरे पुत्र मेरे साथ ही रहते हैं। दिनांक 7.7.16 को चतुर्भुज पुत्र पन्नालाल के हक में कोई बेचाननामा वादी द्वारा नहीं किया गया ना ही कब्जा दिया गया। अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड दस्तावेज आधार पर किसी तरह के कोई खातेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं। ऐसे दस्तावेज मात्र स्पेसिफिक परफारमेंस आफ दी कान्ट्रेक्ट पेश करने का दावा करने के काम में लाया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा अलग अलग दिनांको में वादी को रूपया उधार देने की बात कही गई है जो इस दावे व इस कोर्ट के स्काप से बाहर की बात है। ऐसी कोई राशि वादी ने प्रतिवादीगण से उधार नहीं ली। प्रतिवादीगण मनगढन्त तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर मुझे रोड पर लाने पर आमादा हैं। यह भी निवेदन है कि वादी पर अगर कोई राशि प्रतिवादीगण बकाया बताते हैं तो उसकी वसूली के लिए वे सिविल कोर्ट में दावा पेश कर सकते हैं। प्रतिवादीगण कोई बिल कटवाकर बीज खरीदते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह बीज इसी जमीन में बोया गया हो। मुकदमा दर्ज कराना खातेदारी का सबूत नहीं है। प्रेमदेवी ने पुलिस अधीक्षक के यहां ऐसा कोई मुकदमा दर्ज कराया हो तो वादी को इसकी जानकारी नहीं है। प्रेमदेवी वादी की भूमि हडप करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वादी यदि रजिस्ट्री कराने से मना कर रहा है तो प्रतिवादीगण इस आधार पर सक्षम न्यायालय में तकमील मुआयदा का दावा पेश कर सकते हैं। यह न्यायालय इस बाबत् ना तो कोई फाइन्डिंग दे सकता है और ना ही कोई रिलीफ दे सकता है। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 का दिनांक 18.9.17 को जयपुर में रहने का तथ्य गलत लिखा है बल्कि ये लोग मौके पर मौजूद थे। जबाब के विशेष विवरण में वादी ने अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया है। आदेश 7

29.1.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत जो ग्राउण्ड सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित हैं उनमें से किसी भी आधार पर ये दरख्वास्त आधारित नहीं है। आर्डर 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में सिर्फ वादी का दावा देखा जाता है, प्रतिवादी का डिफेन्स नहीं देखा जाता है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जो डिफेन्स लिया है वह जबाब दावे की विषयवस्तु है जो बाद तनकियात साक्ष्य लेकर ही निर्णित किए जा सकते हैं। प्रथम दृष्टया दावे की प्लीडिंग्स से ये कतई साबित नहीं है कि यह न्यायालय इस दावे में कोई रिलीफ नहीं दे सकता हो। चूंकि वाद आज विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है ऐसी सूरत में वादी को न्यायालय में दावा लाने का पूर्ण अधिकार है। यह बात रूलिंग 2013 डी0एन0जे0(रेवेन्यु) पेज 207, डी0एन0जे0(रेवेन्यु) 2015 पेज 189 में भी प्रतिपादित की गई है। अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड दस्तावेजों के आधार पर किसी तरह के कोई राइट्स या इन्टरेस्ट किसी भी भूमि में किसी भी व्यक्ति को क्रिएट नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण अपने प्रार्थना पत्र में एडवर्स पजेशन का भी हवाला दे रहे हैं। इससे साबित है कि उनके पास कोई टाइटल नहीं है। एडवर्स पजेशन का आधार दूसरे के टाइटल पर आता है। प्रतिवादीगण का यह एडमिशन यह साबित करता है कि विवादित भूमि वादी के कब्जे व स्वामित्व की है। एडवर्स पजेशन के ग्रउण्ड को राजस्व मण्डल समाप्त कर चुका है एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में एडवर्स पजेशन को एप्लीकेबल नहीं माना गया है। प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी दस्तावेजों को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर यह दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वर्ष 2013, 2015, 2016 से विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। कब्जे के अभाव में वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार कर वादी का दावा इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। बहस के दौरान प्रतिवादीगण के वकील ने ट्रेक्टर ड्राइवर कमलेश पुत्र भजनलाल मीना निवासी बडागांव कहार के शपथपत्र की छायाप्रति, कीर्ति इंजिनियरिंग एकेडेमी जयपुर के पत्र दिनांक 18.9.17 की छायाप्रति, सनराइज एकेडेमी जयपुर के डायरेक्टर के पत्र की छायाप्रति पेश की है।

वादी के विद्धान वकील ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रतिकूल कब्जा की बात प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की है जबकि प्रतिकूल कब्जा 12 वर्ष पुराना होना आवश्यक है जैसाकि न्याय दृष्टान्त 2011(1) आर0आर0डी0 पेज 427 में प्रतिपादित किया

29.1.18
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मालपुरा टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

गया है। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र में कब्जा कोई इश्यु नहीं है, वादी भूमि का खातेदार है। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थनापत्र कब मेन्टेनेबल है यह सिद्धान्त न्याय दृष्टान्त 2011(3)डी0 एन0जे0 1066, 2015 डी0एन0जे0(आर) 189, टी0पी0एक्ट 1882, 2011 डी0एन0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) 1058, 2013 डी0एन0जे0(रेवेन्यु) 207 में प्रतिपादित किया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अध्ययन किया। वादी ने भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में तथ्य वर्णित करते हुए कहा है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है बल्कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में है। अपने इस कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कमलेश पुत्र भजनलाल जाति मीना निवासी बडागांव कहार के शपथपत्र की छायाप्रति पेश की है जिसमें कमलेश मीना ने अंकित किया है कि वह काश्तकारों के ट्रेक्टर चलाने का कार्य करता है, वर्तमान में गांव में एक काश्तकार का ट्रेक्टर चला रहा है। उसने रामजीलाल मीना निवासी भडकोली की आराजी लगभग 12 बीघा जो कि उसने चतुर्भुज को बेच रखी है उसमें चतुर्भुज मीना के साझीदार भगवान सहाय मीना निवासी भडकोली के कहने पर ट्रेक्टर से इस वर्ष बाजरे की फसल बोई थी, फसल भी उसके साझी भगवानसहाय ने काटकर चतुर्भुज को आधा हिस्सा दिया था। उक्त फसल व कडवी मेरे द्वारा ही उनके घर ट्रेक्टर से डाली थी। चूंकि स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा देखा जाता है और कमलेश पुत्र भजनलाल मीना के शपथपत्र की छायाप्रति के अनुसार वादी रामजीलाल की लगभग 12 बीघा भूमि पर काश्त वादी ने नहीं बल्कि चतुर्भुज मीना ने अपने साझीदार के माध्यम से की है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी का है एवं कब्जे के अभाव में वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित (**barred by law**) है तथा आदेश 7 नियम 11(घ) सी0पी0सी0 के तहत चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित (**barred by law**) है एवं आदेश 7 नियम 11(घ) सी0पी0सी0 के तहत

29.1.18

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.1.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.20 13:33:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: